निर्णय बइजलास श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी - बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 8/2021 दावा
दायरा दिनांक :- 27.9.2021
निर्णय दिनांक :- 27.9.2021

<u>उनवान</u>

सन्तोष बाई पुत्री दुरजमल पत्नी बृजमोहन जाति धाकड निवासी नेगगढ हाल निवासी बिजोरा (बूंदी) तहसील अन्ता जिला बारां

<u>बनाम</u>

1. टीकमचन्द पुत्र दुर्जनलाल जाति धाकड निवासी नेगगढ तह. बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

दावा धारा 88, 89, 188 RTA

निर्णय दिनांक :- 27.9.2021

उपस्थित: अभिभाषक :- 1- ओमप्रकाश मेहता - वादी
2. सिमरन सिंह - प्रति वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA विरुद्ध प्रति वादी गण के न्याया. में पेश किया गया कि मौजा नेगगढ तह. बारां की आराजी ख.नं. 128 रकबा 0.05 हे. ख.नं. 129 रकबा 0.20 हे. ख.नं. 130 रकबा 0.16 हे., ख.नं. 20 रकबा 2.72 हे., ख.नं. 31 रकबा 0.14 हे. ख.नं. 32 रकबा 2.44 हे., ख.नं. 46 रकबा 0.14 हे. कुल किता 7 रकबा 5.85 हे. स्थित है जिसे उक्त आराजीयात के मूल खातेदार दुर्जनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड थे जिनका देहान्त होने पर कैम्प कार्यालय में नामा. सं. 82 दिनांक 30.4.1999 [illegible] हक के वारिसान के रूप में पुत्र टीकमचन्द पुत्री [illegible] पुत्री बाई बनाया गया जिसमें केवल अंगुली को [illegible] टीकमचन्द पुत्र कल्लीबाई पुत्री बताया गया जबकि वादिया को घर का नाम छोटी कल्लीबाई

लगातार - 2

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

था जबकि उसका सही दस्तावेज में नाम संतोषबाई है इस प्रकार इन्तकाल क्रमांक 82 में गलत रूप से वादिया का नाम संतोषबाई के स्थान पर कलशीबाई दर्ज किया गया है जिसे वादिया दुरुस्त करवाकर अपना नाम कलशीबाई के स्थान पर संतोषबाई करा पा सकेगी की अधिकारी एवं नागरिकी है वादिया द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में कलशीबाई करने के संदर्भ में कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु उसका नाम दुरुस्त नहीं किया गया इस कारण वादिया को अपने खातेदारी की आराजी से सरकारी सहायता एवं बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने में काफी असुविधा हो रही है इस कारण नामान्तकरण संख्या 82 में त्रुटिवश वादिया का नाम संतोषबाई के स्थान पर घर का बोलता नाम कलशीबाई दर्ज किया गया है जिसे वादिया दुरुस्त कराकर अपना नाम संतोषबाई दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकेगी की अधिकारी एवं नागरिकी है वादिया द्वारा कई मर्तबा तहसीलदार बारां को निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्याया. में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई तथा वादिया द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 से तहसील में चलकर वादिया का नाम दुरुस्त कराने के लिए निवेदन किया गया तो उनके द्वारा दिनांक 6-1-2021 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया जिस पर वादिया द्वारा नामा. की नकल प्राप्त कर व खाते की नकल प्राप्त कर राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलक्टर बारां को धारा 80 CPC का नोटिस दिनांक 11.1.21 को दिये जाने पर अन्तिम रूप से वाद कारण दिनांक 6-1-21 व 11-1-21 को [illegible] बारां में उत्पन्न हुआ है। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये समन्स तलब किया गया। वादिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्याया. में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादिया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी) ग्राम तेजगढ़ संवत 2072-75 खाता सं. 34, नकल नामा. क्र. 82 ग्राम तेजगढ़, फोटो प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र संतोषबाई, फोटो प्रति जन आधार कार्ड [illegible] परिवार राशन कार्ड, पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा से [illegible] उपरोक्त [illegible] प्रकरण के पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई [illegible] नहीं है वादिया एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 3

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

दोनों सगे भाई बहिन है उक्त आराजी विरासत से वादिया एवं प्रार्थी वादी को अपने पिता इन्तकाल से प्राप्त हुई है। इन्तकाल के इस दोनों भाई बहिनों के अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं है वादिया का नाम घर की बोलचाल की भाषा से कल्लीबाई था जबकि वास्तविक नाम सन्तोष बाई है तथा सभी दस्तावेजात में भी सन्तोषबाई नाम अंकित है वादिया का नाम कल्लीबाई के स्थान पर इन्तकाल में संशोधन किया जाकर सन्तोष बाई दर्ज किया जाने में प्रार्थी वादी को कोई आपत्ति नहीं है पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया

वादिया के वाद पत्र एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड नकल नामा० नं. 82 के अनुसार इनके खातेदार इन्तकाल का नोटी नाम दर्ज किया गया है जो सजरा के मुताबिक नाम दर्ज किये गये है नामा० में वादिया का नाम कल्लीबाई दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में वादिया का नाम सन्तोषबाई बताया गया है जबकि दोनों नाम अलग-अलग है यह कैसे कह सकते है कि सन्तोष बाई व कल्ली बाई दोनों एक ही महिला है। वादिया द्वारा अपना नाम सही करवाना था तो नामा० की अपील सक्षम न्याया० में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अभिभाषक आवेदक पक्षकारान द्वारा न्याया० में उप. होकर राजीनामा पेश किया गया प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर स्वीकार किया गया। तथा अपनी सहमति जाहिर की किन्तु पत्रावली अभिभाषक गण द्वारा की गई पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाता है कि तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

UWL

दिव्यांशु शर्मा
उप खण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

खण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

8/2021	धारा अंतर्गत 88, 89, 188	निर्णय दिनांक 27.9.21
श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
ति - अभिभाषक वादी श्री ओम मेहता II		अभिभाषक प्रतिवादी श्री निमरत सिंह

वाद शीर्षक

सन्तोष बाई पुत्री प्रेमनाथ पत्नी हरनारायण जाति धाकड़ निवासी तेजपुरा हाल निवासी निमोदा (ब्रेडी) तहसील अन्ता

बनाम

1. टीकमचन्द पुत्र प्रेमनाथ जाति धाकड़ निवासी तेजपुरा तह० बारां
2. राज. सरकार मार्फत तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.9.2021 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner